

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा  
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 02/2020 - रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल	बनाम	1. लक्ष्मण पिता मोती कुमावत 2. नेनू पिता पेमा कुमावत निवासीयान खेडीमाता तहसील करेडा
-प्रार्थी		-विपक्षी

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपरिथत :-

1. परोकार सरकार - प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 58.2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./850/2013/भीलवाडा सरकार बनाम लक्ष्मण निर्णय दिनांक 26.08.2019 में अंकन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02.08.2004 पारित करते हुये 15 अगस्त 1947 की स्थिति कायम रखने हेतु निर्देशित किया है। इसके लिए संवत् 2004 की जमाबन्दी में नदियां व नाले के नाम भूमि होने पर ही रेफरेन्स स्वीकार किया जा सकता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि इस प्रकरण में संवत् 2004 की कोई भी जमाबन्दी संलग्न नहीं है। प्रकरण पूर्ण तैयार करने के पश्चात् ही यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

तहसीलदार करेडा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार -

1. ग्राम खेडीमाता तहसील करेडा के आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म गै०मु०चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता सं० 127 अनुसार विपक्षीगण के गैर खातेदारी लीज होल्डर के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। उपरोक्त आराजी नंबर की किस्म पूर्व में गै०मु०नदी दर्ज थी; जो विपक्षीगण के नाम दिनांक 04.01.2001 को आवंटन/नियमन की गई थी।

अति जिला कलक्टर  
भीलवाडा


2. प्रशासन गाँव के संग अभियान-2001 में प्रभारी अधिकारी, पंचायत समिति क्षेत्र माण्डल के प्रकरण सं० 01/2001 दिनांक 04.10.2001 से विपक्षीगण द्वारा आ०नं० 1 में रकबा 0.03 बीघा भूमि पर खोदे गये कुएं को सशर्त नियमित किया गया है। नियमन आदेश में भूमि की किस्म गै०मु०नदी अंकित हैं।
3. नियमन आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं० 160 में आराजी नं० 1 में रकबा 32.12 बीघा की किस्म गै०मु०नदी दर्ज हैं। उक्त नामान्तरकरण में आ०नं० 428/1 रकबा 0.03 बीघा को विपक्षीगण के नाम गै०मु०आचा दर्ज किया गया, जो दिनांक 04.10.2001 को स्वीकृत हुआ है।
4. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक (लीज पर) के रूप में अभिलिखित है। जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में प्रश्नगत आराजी नंबर 1 रकबा 32.16 बीघा भूमि नदी कोठारी दर्ज हैं।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./850/2013/भीलवाडा सरकार बनाम लक्ष्मण निर्णय दिनांक 26.08.2019 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 10.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम खेड़ीमाता तहसील माण्डल (करेडा) के आराजी नंबर 1 रकबा 32.16 बीघा किस्म नदी संवत् 2033 से 2036 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जो विपक्षीगण को दिनांक 04.10.2001 को कुएं हेतु 03 बिस्वा नियमन की गयी।

प्रार्थी तहसीलदार करेडा ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 2004 की जमाबन्दी प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की है। ग्राम खेड़ीमाता तहसील करेडा के आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म गै०मु०चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता सं० 127 अनुसार विपक्षीगण के गैर खातेदारी लीज होल्डर के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। उपरोक्त आराजी नंबर की किस्म पूर्व में गै०मु०नदी दर्ज थी, जो विपक्षीगण के नाम अलोटमेन्ट ऑफ लेण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्स्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरोगेशन रूल्स 1979 के नियम 12 ए के तहत दिनांक 04.01.2001 को आवंटन/नियमन की गई थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू-भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

  
 अति जिला कलक्टर  
 भीलवाडा  
 2

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम खेडीमाता तहसील करेडा के आराजी नं. 1 रकबा 66.18 बीघा भूमि किस्म नदी बिलानाम गैर काबिल काश्त के खाते में जनाबंदी संवत् 2019 से 2022 में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें से 0.03 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने दिनांक 04.01.2001 को विपक्षीगण को नियमन की, जो विधि विरुद्ध होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं० 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं।  
अतःएव-

## आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, करेडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खेडीमाता तहसील करेडा के आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म गै०मु०चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता सं० 127 से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः गे.मु. नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक ~~05-08~~ 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा